

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495

भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 18, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-3-63-2015-1-पांच (39).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 23 में, उप नियम (1) में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“परन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों द्वारा जिनका सकल वार्षिक विक्रय 1 करोड़ रुपये से अधिक है वर्ष 2014-2015 की पुनरीक्षित विवरणी 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-3-63-2015-1-पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक, क्र. एफ ए-3-63-2015-1-पांच (39), दिनांक 9 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2015

No. F. A-3-63-2015-1-V (39).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), after clause (ii), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that the revised return pertaining to the year 2014-15 can be furnished upto 31<sup>st</sup> December, 2015 by a dealer having an annual turnover exceeding Rupees One Crore.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-3-63-2015-1-पांच (40).—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 54 में, उप नियम (1) में, परन्तुक में, खण्ड (सात) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“(आठ) वर्ष 2014-2015 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट विलम्ब शुल्क के बिना 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्र. एफ ए-3-63-2015-1-पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक, क्र. एफ ए-3-58-2015-1-पांच (40), दिनांक 9 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 9th December 2015

No. F. A-3-63-2015-1-V (40).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 54, in sub-rule (1), in the proviso, after clause (vii), the following new clause shall be added namely :—

“(Viii) the audit report pertaining to the year 2014-15 can be furnished upto 31st December, 2015 without a late fee.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.